न्यायालय राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

(34)

प्रकरण क्रमांक /2013–14 निगरानी R-247-I/14

नारायणसिंह पिता श्री बापूलाल, आयु–50 वर्ष
जाति–सोंधिया, व्यवसाय–कृषि
निवासी–ग्राम मगीशपुर, तहसील सुसनेर,
जिला आगर (शाजापुर) म.प्र. ———आवेदक

विरूद्ध

1– सुरेन्द्रसिंह पिता श्री गुमानसिंह, आयु–30 वर्ष
जाति–सोंधिया, व्यवसाय–कृषि
निवासी–ग्राम मगीशपुर, तहसील सुसनेर,
जिला आगर (शाजापुर) म.प्र.
2– म.प्र. शासन ———अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुसनेर जिला आगर (शाजापुर) द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/अ–70/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24/06/2013 से असंतुष्ट एवम् दुखित होकर अन्दर अवधि में यह निगरानी प्रस्तुत करता है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि, आवेदक नारायणसिंह के विरूद्ध अनावेदक सुरेन्द्रसिंह द्वारा ग्राम मगीशपुर में तहसील न्यायालय में एक आवेदन पत्र धारा 250 म.प्र.भू–राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत किया हैं व बताया कि आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नं. 740 रकबा 1.42 हे. पर सीमांकन होने के बाद आवेदक को ज्ञात हुआ कि उसकी भूमि आवेदक का अवैध कब्जा हैं । जिसका कब्जा वापसी हेतु अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया । अनावेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बताया कि उपरोक्त भूमि के संबंध में एक मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा आवेदक का कब्जा 17 वर्ष से अधिक से निरन्तर रूप में चला आ रहा हैं । राजस्व निरीक्षक ने भी अपने सीमांकन प्रतिवेदन में 12 वर्ष से अधिक का कब्जा होना बताया है

निरन्तर.....2

XXXX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(33)

प्रकरण क्रमांक – निग0 247–एक / 14

जिला – शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26/8/17	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा के बिंदु पर दिए गए तर्को पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण धारा 250 का है । प्रकरण में तहसीलदार ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों काउल्लेख करते हुए अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकों को प्रश्नाधीन भूमि से अपना अवैध कब्जा तत्काल हटा कर भूमि को भूमिस्वामी को सौंपने के आदेश दिए हैं । साथ ही उन्होंने राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी को भी अनावेदक को कब्जा दिलवाये जाने के आदेश दिए हैं प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनके इस आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः यह अपील अग्राह्य की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकाड हो । प्रशा0 सदस्य	